

(c) Does not arise.

(d) No, Sir. However, unauthorised operators are prosecuted by the Enforcement Wing of Transport Department of Government of National Capital Territory of Delhi.

**Diversion of National Highway 37 at Kaziranga National Park**

3024. SHRI BHADRESWAR GOHAIN : Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether Government propose to divert the National Highway at Kaziranga National Park in Assam for protection of the wild life in the park; and

(b) if so, any survey has been made so far by the Government with the details about the survey?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) and (b) A proposal to divert NH 37 abutting Kaziranga National Park was under consideration of the Ministry on account of proposed refinery at Numaligarh. The prefeasibility study has revealed that there is no possibility of having a suitable diversion of NH 37 abutting Kaziranga National Park.

मध्य प्रदेश राज्य परिवहन के अंतर्गत चल रही बसें

3025. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या जल-मृतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1993 के स्थिति की अनुसार मध्य प्रदेश राज्य परिवहन द्वारा चलाई जा रही बसों की उनके मार्गों की संख्या सहित संख्या कितनी है और 1991-92 और 1992-93 के दौरान उन बसों की संख्या कितनी है जिनके परिचालन को निलाम्ल कर दिया गया है और जिनके परिचालन की असमर्थता बता दी गई थी और ऐसी बसों के मार्गों की संख्या कितनी है;

(ख) प्ररनाधीन बसों के दौरान निगम को कुल कितना लाभ हुआ अथवा हानि हुई;

(ग) इस अवधि के दौरान कितनी बसों को अनुपयोगी घोषित किया गया और निगम द्वारा क्रय किये गये वाहनों की संख्या कितनी है; और

(घ) उपरोक्त अवधि में राज्य के हत्तीसगढ़ क्षेत्र में बसों के मार्ग में खराबी होने, बसों के टिप को रद्द करने और इन बसों के बुर्पटनाग्रस्त होने संबंधी घटनाओं का ब्यौरा क्या है और

राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में इसका अनुपात कितना है ?

जल-मृतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और समापटल पर रख दी जाएगी ।

देश में राज्य परिवहन निगमों द्वारा प्राप्त किया गया लाभ/उठायी गया घाटा

3026. श्री विलीप सिंह जूदेव : क्या जल-मृतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान देश में राज्य परिवहन निगमों को हुए लाभ/हानि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन निगमों द्वारा कर्तों और लाभशो के रूप में राज्य सरकारों को उदा की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है एवं राज्य सरकारों से सहायता और ऋण के रूप में उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन परिवहन निगमों को अधिक उपयोगी बनाने अथवा उनको समाप्त करने के लिए उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करने हेतु कोई कार्यवाही की गई है ?

जल-मृतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) वर्ष 1992-93 के आंकड़े सुलभ नहीं हैं । वर्ष 1991-92 के आंकड़े विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिये) ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और समापटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) सरकार, राज्य सड़क परिवहन निगमों की वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन की समीक्षा कर रही है । सरकार ने सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की थी । इस समिति की सिफारिशों टिप्पणियों के लिए राज्य सरकारों को भेजी गई है ।

योजना आयोग ने सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए राज्यों की वार्षिक योजनाएं तैयार करते हुए राज्य सरकारों के लिए निम्नलिखित मार्गनिर्देशों की सिफारिश की है :—

(1) ए० स० प० उ० की प्रवाहन कुशलता में सुधार हो ।

(2) ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ निजी क्षेत्र के आने की संभावना न हो, ए० स० प० उ० को धीरे-धीरे निजी क्षेत्र के लिए स्थान बनाना चाहिए ।

(3) ए० स० प० उ० का विस्तार न किया जाए ।